बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संउसं0–9/आ0–01–20/2023(स्वा0) ..../ पटना, दिनांकः–.................................

डॉ० मनीष कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, सिकहरना, ढाका, मोतिहारी द्वारा आवेदन समर्पित कर अवगत कराया गया कि विभागीय अधिसूचना सं०–2030(2) दिनांक–30.12.2022 के अनुपालन मे सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, सिकहरना ढाका, मोतिहारी में पदस्थापित किया गया। विभागीय आदेश सं०–1706(9) दिनांक–27 11 2023 द्वारा डॉ० कुमार को अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के उपरान्त निर्धारित कर्त्तव्य पर योगदान करने का आदेश दिया गया। अस्वस्थता के कारण डॉ० कुमार द्वारा दिनांक–23.12.2023 को सिविल सर्जन, मोतिहारी के समक्ष योगदान समर्पित किया गया। सिविल सर्जन, मोतिहारी के पत्रांक–6810 दिनांक–23.12 2023 द्वारा डॉ० कुमार का योगदान स्वीकार करने हेतु मार्गदर्शन की मॉग की गयी। डॉ० कुमार द्वारा दिनाक–21 11 2024 विभाग मे अभ्यावेदन समर्पित कर पदस्थपित स्थान पर योगदान करने का अनुरोध किया गया।

2. डॉ० मनीष कुमार द्वारा पदस्थापित स्थान पर योगदान करने हेतु निदेशित करने का अनुरोध किया गया है। उक्त के समीक्षोपरांत डॉ० मनीष कुमार का योगदान स्वीकार करते हुए उनसे कार्य लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. सिविल सर्जन, मोतिहारी को निदेशित किया जाता है डॉ० मनीष कुमार को आदेश निर्गत की तिथि से योगदान स्वीकार करते हुए उन्हें पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कराया जाय। डॉ० मनीष कुमार का योगदान करने की सूचना से अविलंब विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

4. डॉ० मनीष कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमडलीय अस्पताल, सिकहरना, ढाका, मोतिहारी के विरूद्ध अनधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में विहित प्रपत्र में आरोप–पत्र गठित कर उपलब्ध कराया जाय।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–9/आ0–01–20/2023(स्वा0) 49(9) / **पटना, दिनांकः–** 14.01.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/सिविल सर्जन, मोतिहारी को निदेशित किया जाता है कि डॉ० मनीष कुमार के कर्त्तव्य पर योगदान करने से संबंधित प्रतिवेदन के साथ विहित प्रपत्र में आरोप–पत्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

प्रतिलिपिः–डॉ० मनीष कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, सिकहरना, ढाका, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7, 8, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

14/01/2025

सरकार के अवर सचिव।